रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 6, 2003/आश्विन 14, 1925
No. 482] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 2003/ASVINA 14, 1925

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2003

सा०का०नि० 783(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में संशोधन हेतु निम्नांकित योजना बनाती है, अर्थात्

1. (i) इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2003 कहा जाएगा ।

(ii) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में,-

पैराग्राफ 68खख के उपरांत, निम्नांकित पैराग्राफ का समावेश किया जाएगा, अर्थात् :-

"68ख ग : सदस्य द्वारा उपयुक्त स्थल के अधिग्रहण सहित मकान/फ्लैट की खरीद या मकान के निर्माण हेतु निधि से आहरण/वित्तपोषण :

(1) पैराग्राफ 68ख या 68खख के बावजूद यदि कोई सदस्य केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित आवास योजना के तहत किसी आवास एजेंसी से किसी मकान/फलैट (अन्य के साथ संयुक्त स्वामित्व वाले भवन में फलैट सहित (सीधे या किश्तों में खरीद आधार पर)) खरीदना चाहता है या इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त स्थल के अधिग्रहण सहित किसी मकान का निर्माण कराना चाहता है तो वह निधि में सदस्य के खाते में जमा राशि में से आहरण हेतु आयुक्त द्वारा यथानिर्धारित प्रपत्र एवं रीति में आवेदन कर सकता है और आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधीनस्थ

अधिकारी ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी राशि को सदस्य के खाते में डेबिट करते हुए संस्वीकृति प्रदान करेगा जो सदस्य के अपने अंशदान और उस पर ब्याज से (और उसके खाते में जमा नियोक्ता के अंशदानों और उस पर ब्याज) या प्रस्तावित सम्पत्ति के अधिग्रहण की लागत (जो भी कम हो) से ज्यादा नहीं होगी :

बशर्ते इस पैराग्राफ के तहत कोई आहरण तब तक न किया जाए जब तक कि :

(i) सदस्य ने निधि की सदस्यता के पांच वर्ष पूरे न कर लिए हों; तथा

(ii) निधि में सदस्य (या उसके पति/उसकी पत्नी सहित, जो स्वयं भी सदस्य हो) का जमा अंशदान (उस पर ब्याज सहित) बीस हजार रूपये न हो जाए ।

बशर्ते यह भी कि आयुक्त, इस संबंध में सदस्य से प्राप्त आवेदन में दर्शाए गए पर्याप्त कारण के आधार पर, केवल इस परन्तुक में विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ, किसी सरकार या आवास योजनान्तर्गत अधिसूचित आवास एजेंसी से सदस्य या सदस्य की पत्नी के नाम पर या सदस्य व उसके पति/उसकी पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त ऋण के बकाया मूलधन तथा/या उस पर ब्याज की पूर्ण या आंशिक वापसी के लिए निधि में सदस्य के नाम जमा राशि से आहरण हेतु उक्त (i) में उल्लिखित अवधि को घटाकर तीन वर्ष कर सकता है तथा आयुक्त या आयुक्त द्वारा अधिकृत अधीनस्थ अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर सदस्य के खाते में डेबिट करते हुए इतनी राशि संस्वीकृत करेगा जो सदस्य के अपने अंशदान (उस पर ब्याज सहित) के साथ नियोवता के अंशदान (उस पर ब्याज सहित) या सदस्य द्वारा अनुरोध की गई राशि या ऋण खाते में शेष बकाया राशि (जो भी कम हो) से अधिक नहीं होगी ।

बशर्ते यह भी कि यदि सदस्य चाहता है कि केवल इस परन्तुक में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु स्वयं या सदस्य के पति/की पत्नी या सदस्य तथा उसके पति/उसकी पत्नी के नाम संयुक्त रूप से प्राप्त ऋण के बकाया मूलधन तथा/या उस पर ब्याज की पूर्ण या आंशिक वापसी हेतु मासिक किश्तें निधि में सदस्य के नाम जमा राशि से ली जाएं तो वह आयुक्त द्वारा यथानिर्धारित प्रपत्र तथा रीति से आवेदन करेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधीनस्थ अधिकारी सदस्य की ओर से प्रत्येक माह की 15 तारीख तक सरकार या संबंधित आवास एजेंसी (जैसा भी मामला हो) को भुगतान करेगा ।

बशर्ते यह भी कि जब सदस्य की सदस्यता बरकरार न रहे या जब सदस्य के खाते में जमा राशि किसी भी मासिक किश्त के भुगतान हेतु पर्याप्त न हो, तो आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधीनस्थ अधिकारी, यदि मासिक किश्त समय पर जमा न की गई हो, तो मासिक किश्त या विलम्ब शुल्क तथा/या ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

(2) मकान/फलैट या निवास स्थल की खरीद या मकान के निर्माण हेतु उप-पैराग्राफ (1) तथा उसके परन्तुक के तहत आहरण या वित्तपोषण, किसी भी हाल में सदस्य को नहीं किया जाएगा और सीधे सरकार या संबंधित आवास एजेंसी (जैसा भी मामला हो) को ही सदस्य द्वारा यथाप्राधिकृत एक या इससे अधिक किश्तों में किया जाएगा ।

(3) किसी भी सदस्य को उपर्युक्त 39–पैराग्राफ (1) के तहत और अधिक आहरण की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक वह वर्तमान ऋण देनदाओं को पूरी तरह समाप्त न कर दे ।

(4) (क) यद इस पैराग्राफ के तहत आहरण या दी गई राशि संस्वीकृत प्रयोजनार्थ व्यय की गई वास्तविक राशि से अधिक हो, तो सदस्य उस अधिक राशि को मकान/फ्लैट की खरीद को अन्तिम रूप देने या उसका निर्माण पूरा होने या उसमें आवश्यक परिवर्द्धन/परिवर्तन करने (जैसा भी मामला हो) के तीस दिन के भीतर निधि में एकमुश्त वापस करेगा ।

(ख) उप–पैराग्राफ (क) के तहत इस प्रकार वापस की गई राशि निधि में सदस्य के खाते में नियोक्ता के शेयर के रूप में, उक्त शेयर में से दी गई आहरण अनुमति की सीमा तक जमा की जाएगी और यदि कोई शेष हो, तो उसे सदस्य के अंशदान के शेयर के रूप में उसके खाते में जमा किया जाएगा ।

(ग) सदस्य को निवास–स्थल/मकान/फ्लैट आबंटित न किऐ जाने की स्थिति में या उपर्युक्त उप–पैराग्राफ (1) में उल्लिखित सरकार या आवास एजेंसी द्वारा सदस्य को किए गए आबंटन को रद्द किए जाने की स्थिति में, इस प्रकार आहरित राशि प्राप्त करने वाली सरकार या आवास एजेंसी रद्द किए जाने या आबंटन न किए जाने की तिथि के अधिकतम पन्द्रह दिनों के भीतर आयुक्त द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रीति से निधि में राशि को एकमुश्त वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(घ) खण्ड (ग) के तहत इस प्रकार वापस की गई राशि, उक्त शेयर से दिए गए आहरण की सीमा तक, निधि में सदस्य के खाते में नियोक्ता के अंशदान के शेयर में जमा की जाएगी और शेष (यदि हो) को सदस्य खाते में अंशदान के अपने शेयर के रूप में जमा की जाएगी ।

(ङ) यदि आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधीनस्थ अधिकारी मानता है कि इस पैराग्राफ के तहत आवास योजनान्तर्गत आवास एजेंसी के पास जमा राशि का दुरूपयोग किया गया है और उसे वापस नहीं किया जाएगा, तो वह राशि को तत्काल ब्याज सहित वसूलने तथा उस पर आयुक्त द्वारा समय–समय पर यथाअधिसूचित दांडिक ब्याज लगाने के लिए कदम उठाएगा और इस प्रकार वसूली गई राशि, उक्त खाते में से आहरण तथा उस पर ब्याज की सीमा तक, निधि में सदस्य के खाते में जमा की जाएगी तथा शेष राशि (यदि हो) प्रशासनिक खाते में डाल दी जाएगी ।

(6) आयुक्त अधिसूचित करेगा कि ऐसी आवास एजेंसी को आवास योजना में भागीदारी से वंचित किया जाए ।

[फा० संख्या एस–65011/01/2003–एस०एस०–II]
डॉ० एस० पूनिया, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—कर्मचारी भविष्य निधि योजना समय–समय पर संशोधित की गई थी; पिछला संशोधन भारत के राजपत्र में दिनांक 03 अगस्त, 2002 को सा0का0नि0 संख्या 296 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2003

G.S.R. 783(E).— exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of Section 7 of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Employees Provident Funds Scheme, 1952, namely:-

1. (i) This scheme may be called the Employees Provident Funds (Amendment) Scheme, 2003.

   (ii) It shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Employees Provident Funds Scheme, 1952,-

   After paragraph, 68BB the following paragraph shall be inserted, namely:-

" **68BC: Withdrawal / financing from the Fund for the purchase of a dwelling house/flat or the construction of a dwelling house including the acquisition of a suitable site by the Member.-**

(1) Notwithstanding anything contained in paragraph 68B or 68BB, where a member desires to purchase a dwelling house/flat, including a flat in a building owned jointly with others (outright or on hire purchase basis), or for construction of a dwelling house including the acquisition of a suitable site for the purpose, from the Central Government, a State Government, or a Housing Agency under a Housing Scheme as notified by the Central Provident Fund Commissioner from time to time, may apply in such form and in such manner, as may be prescribed by the Commissioner, for withdrawal from the amount standing to the credit of the member in the Fund, and the Commissioner, or where so authorized by the Commissioner, any officer subordinate to him, on receipt of such application may sanction such amount not exceeding the members own share of contributions with interest thereon (and the employers share of contributions with interest thereon to his credit) or the cost of the acquisition of the proposed property whichever is less by debiting to the members account:

Provided that no withdrawal under this paragraph shall be granted unless —

(i) the member has completed five years membership of the Fund; and

(ii) the share of contributions with interest thereon in the amount standing to the credit in the Fund of the member/or together with the spouse who is also a member, is not less than twenty thousand rupees.

Provided further that the Commissioner may, on sufficient grounds being shown through an application from a member in this regard, reduce the period as stipulated in (i) above to three years for withdrawal from the amount standing to the credit of the member in the Fund, for the repayment, wholly or partly, of any outstanding principal and/or interest of a loan obtained in the name of the member or spouse of the member or jointly by the member and spouse from any Government or

a Housing Agency under Housing Scheme so notified, solely for the purposes specified in this proviso and the Commissioner, or where so authorized by the Commissioner, any officer subordinate to him, on receipt of such application may sanction such amount not exceeding the member's own share of contributions with interest thereon alongwith with the employers share of contributions with interest thereon, or the amount requested by the member or the outstanding balance in the loan account, whichever is less, by debiting to the members account.

Provided also that, where a member desires that monthly installments for the repayment, wholly or partly, of any outstanding principal and/or interest of a loan obtained in the name of the member or spouse of the member or jointly by the member and spouse, solely for the purposes specified in this proviso, may be paid from the amount standing to the credit of the member in the Fund, he may apply in such form and in such manner, as may be prescribed by the Commissioner and on receipt of such an application, the Commissioner or where so authorized by the Commissioner, any other officer subordinate to him may make payment by the 15th of each month on behalf of the member to the Government or a Housing Agency concerned, as the case may be.

Provided also that when the membership of the member ceases to exist, or, where the amount standing in the credit of the member's account is not sufficient to pay the monthly installment for any month, the Commissioner or where so authorized by the commissioner any other officer subordinate to him shall not be liable to pay the monthly installment or any late fee and/ or interest, if any monthly installment could not be remitted in time.

(2). The withdrawal or finance for the purchase of a dwelling house/flat or a dwelling site or construction of a dwelling house, under sub-paragraph (1) and proviso thereunder, shall not be made to the member in any event and shall be made direct to the Government or Housing Agency concerned only, as the case may be, in one or more installments, as may be authorized by the member.

(3) No further withdrawal under sub-paragraph (1) above shall be admissible to a member unless he has discharged his liability towards the existing loan.

(4) (a) If the withdrawal or finance granted under this paragraph exceeds the amount actually spent for the purpose for which it was sanctioned, the excess amount shall be refunded by the member to the Fund in one lump sum within thirty days of the finalisation of the purchase, or the completion of the construction of, or necessary additions or alternations to a dwelling house/flat, as the case may be.

(b)The amount so refunded under sub-paragraph (a) shall be credited to the employer's share of contributions in the members account in the Fund to the extent of withdrawal granted out of the said share and the balance, if any, shall be credited to the member's share of contributions in his account.

(c) In the event of the member not having been allotted a dwelling site/ dwelling house/flat or in the event of the cancellation of an allotment made to the member by the Government or the Housing Agency, referred to in sub paragraph (1) above, then the Government or the said Housing Agency, to which the amount so withdrawn has been given shall be liable to refund the amount to the Fund in one lump sum in such manner as may be specified by the Commissioner, within a period not exceeding fifteen days from the date of such cancellation or non-allotment.

(d) The amount so refunded under clause (c) shall be credited to the employer's share of contributions in the members account in the Fund, to the extent of withdrawal granted out of the said share, and the balance, if any, shall be credited to members own share of contributions in his account.

(5) The Commissioner or where so authorized by the commissioner any officer subordinate to him has reason to believe that the amount remitted to the Housing Agency under the Housing Scheme under this paragraph has been misutilized and will not be refunded, he shall forthwith take steps to recover the amount due with interest including penal interest thereon at the rate to be notified by the Commissioner from time to time and the amount so recovered shall be credited to member's account in the Fund to the extent of withdrawal granted out of the said account and interest thereon and the remaining amount, if any shall be credited to Administrative Account.

(6) The Commissioner may notify such Housing Agency be debarred from participation in the Housing Scheme.

[File No. S-65011/01/2003-S.S.-II]

D. S. POONIA, Jt. Secy.

Note :– The Employees Provident Funds Scheme was amended from time to time, the latest amendment was published in the Gazette of India vide GSR No.296 dated the 3rd of August, 2002.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.